पत्रांक– 43 (प्रतिरक्षण)

प्रेषक :– अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
एन.आई.सी., मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक – 21-01-16

विषय :– कोटेशन के आधार पर जिला प्रतिरक्षण कार्यालय, मधेपुरा में गाड़ी रखने हेतु सूचना वेब साईट पर प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि जिला प्रतिरक्षण कार्यालय, मधेपुरा के कार्यों के संपादन हेतु भाड़े की एक गाड़ी की आवश्यकता है। जिस हेतु अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, मधेपुरा के द्वारा कोटेशन आमंत्रित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि कोटेशन के आमंत्रण हेतु सूचना वेब साईट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : सूचना की प्रति।

विश्वासभाजन

21/01/16.

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
मधेपुरा

21-01-16

E:\2015-16\R.I\Letters\ACMO Letter.doc
Pankaj Kr Prakash, D.A., RCH, Madhepura

कार्यालय, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा

कोटेशन आमंत्रण

जिला प्रतिरक्षण कार्यालय, मधेपुरा के कार्यों के संपादन हेतु भाड़े की एक गाड़ी निम्नलिखित शर्तों पर रखने हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है–

1. गाड़ी का निबंधन दिनांक 01.01.14 के बाद का होना अनिवार्य है।
2. गाड़ी का निबंधन वाणिज्यिक होना अनिवार्य है।
3. गाड़ी भाड़ा निबंधन मो. 20000/– (बीस हजार) रूपये मात्र प्रतिमाह (ड्राइवर एवं अन्य रख–रखाव सहित) के दर से देय होगा।

जिस हेतु निम्न कंडिका अनिवार्य है–

(क) चालक वाहन मालिक का होगा जिसका चालक अनुज्ञप्ति वाणिज्यिक होना अनिवार्य है।

(ख) प्रतिमाह 1000 किलोमीटर (ए.सी. सहित) का ईंधन गाड़ी मालिक द्वारा देय होगा। इससे अधिक चलने पर ईंधन 10 कि.मी./लीटर (ए.सी. नहीं चलने पर) एवं 08 कि.मी./लीटर (ए.सी. चलने पर) के दर से अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, मधेपुरा के नियमित प्रतिरक्षण कोषांग के द्वारा आपूर्ति की जाएगी।

इच्छुक वाहन मालिक दिनांक 30.01.16 तक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, मधेपुरा (संदर अस्पताल कैम्पस) में अपना आवेदन समर्पित करें।

कोटेशन रद्द करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

22/1/16.

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
मधेपुरा

21-01-16